

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए  
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

2478 श्री के. राधाकृष्णन:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार हाल ही में जिनेवा में संपन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में देश के मछुआरों के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को पता है कि दो वर्षों के बाद मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय देश के लगभग नौ मिलियन मछुआरों के हितों के विरुद्ध है, और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार को पता है कि एमसी 12 वार्ता में विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदकारी व्यवहार का कोई प्रावधान नहीं होने से गरीब, छोटे पैमाने के मछुआरों को बड़े मछुआरों के हाथों नुकसान उठाना पड़ेगा; और
- (घ) यदि हां, तो छोटे पैमाने के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क): भारत अवैध गैर-सूचित और अविनियमित (आईयूयू) और ओवरफिशड स्टॉक के स्तंभ पर 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अंगीकृत किए गए मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौते (एफएसए) के तहत मछुआरों के हितों की रक्षा करने में सक्षम रहा है। एफ. एस. ए. अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि डब्ल्यू. टी. ओ. के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन नहीं किया गया है।

एफ. एस. ए. उन आई. यू. यू. मछली पकड़ने और स्टॉकों के लिए सीमित है जो तटीय सदस्य अर्थात् भारत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में यथा निर्धारित ओवरफिशड स्थिति में हैं। इसलिए, वास्तविक मछुआरे एफएसए से प्रभावित नहीं होंगे और समझौते के लागू होने के बाद भी सब्सिडी प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।

- (ख) एफ. एस. ए. में दो साल के बाद मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी को खत्म करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

एफएसए के प्रावधानों के अनुसार, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य पर अपने पोत या प्रचालक को सब्सिडी देने या बनाए रखने के सम्बंध में कोई निषेध तब तक अधिरोपित नहीं किया गया है जब तक वह आईयूयू फिशिंग नहीं करता है और स्टॉक अत्यधिक मात्स्यिकी की स्थिति में न आए हों।

- (ग) और (घ) एफएसए में एफएसए के अनुच्छेद 3.8 और 4.4 में आईयूयू मछली पकड़ने और ओवरफिशड स्टॉक स्तंभों के तहत विशेष और विभेदकारी व्यवहार का प्रावधान है।

इसके अलावा, यदि कोई पोत/प्रचालक आई. यू. यू. मछली पकड़ने में संलग्न नहीं है, तो वह पोत/प्रचालक हमेशा मत्स्य सब्सिडी के लिए पात्र होगा। इसी तरह, यदि तटीय सदस्य अर्थात् भारत द्वारा स्टॉक को ओवरफिशड घोषित नहीं किया जाता है तो, गरीब, छोटे पैमाने के मछुआरों सहित सभी मछुआरे मत्स्य सब्सिडी के पात्र होंगे।